बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढौरा के अधीन पानापुर प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (सामान्य) अंतर्गत वर्ष 2020–21 में स्वीकृत पानापुर रसौली पक्की सड़क से नट बस्ती होते हुए नहर तक पथ में कराये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–19582/2024, धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढौरा के पत्रांक 569 दिनांक 19.04.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कार्य प्रमंडल, मढौरा द्वारा 0.975 कि0मी0 का पथ स्वीकृत किया गया था, जबकि वर्तमान जॉच में यह पाया गया कि पथ की वास्तविक लम्बाई 0.905 कि0मी0 ही थी। इस 0.905 कि0मी0 में से 0.42 कि0मी0 की लम्बाई में पथ का निर्माण पंचायत के किसी योजना से तथा 0.25 कि0मी0 की लम्बाई में पथ का निर्माण GTSNY योजनान्तर्गत वर्ष 2019 में ही कराया जा चुका था।

2. श्री परमेश्वर मेहरा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर द्वारा अपने निर्दिष्ट कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करते हुये संवेदक के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत रेखांकन पर मात्र 0.235 कि0मी0 का कार्य कराकर शेष स्वीकृत लम्बाई को अस्वीकृत रेखांकन (रसौली शिव मंदिर से धनौती सिवाना) पर कार्य करा दिया गया, जिससे कोई भी बसावट सम्बद्ध नहीं हो रहा था। साथ ही श्री मेहरा द्वारा इसकी मापी अंकित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. स्पष्ट है कि श्री मेहरा द्वारा मामले में स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, दायित्व के प्रति लापरवाही एवं गंम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री परमेश्वर मेहरा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री मेहरा का मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री मेहरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. श्री मेहरा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निमित्त प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
14/05/25
(अभय झा)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–63/2025 5175 /पटना, दिनांक:– 14.5.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

14/05/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–63/2025 5175 /पटना, दिनांक:– 14.5.25

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ, पटना–15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–2/अ०प्र०–1–63/2025 5175 /पटना/दिनांक:– 14.5.25

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5/14, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री परमेश्वर मेहरा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–63/2025 5175 /पटना/दिनांक:– 14.5.25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/05/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–63/2025 5175 /पटना/दिनांक:– 14.5.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/05/25

संयुक्त सचिव